न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1295–तीन/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.6.05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 16/2000–2001/अपील.

———

1– बलराम पुत्र राम विलास नाबा. सरपरस्त
पिता राम विलास पुत्र रामेश्वर जाति काछी
निवासी ग्राम पचेरा, परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र.

2– राम विलास पुत्र रामेश्वर जाति काछी,
निवासी ग्राम पचेरा परगना मेहगांव,
जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

महिला गुड्डी वेवा शिवदत्त उर्फ शिवरत्न
निवासी ग्राम पचेरा परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर ।

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17 – 4 – 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 16/2000–2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–6–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम पचेरा स्थित विवादित भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु एक आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर

विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 27–1–2000 द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण करने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 7–8–2000 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक महिला गुड्डीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्कों के साथ लिखित बहस भी पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि मृतक भूमिस्वामी वसीयतकर्ता द्वारा अपने भतीजे आवेदक क्र. 1 के हित में दिनांक 20.4.98 को अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत की गई थी । वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विधिवत कार्यवाही करते हुए नामांतरण आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि एस.डी.ओ. द्वारा की गई बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर विधिक त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदिका गुड्डीबाई अपनी पुत्री संगीता के साथ वर्ष 1992 में फसल काटने के लिए आई थी वह ग्राम धौरपुर कोंच जिला जालौन की रहनी वाली थी । उसकी मृत शिवदत्त की कभी शादी नहीं हुई । वर्ष 1997 में मृतक शिवदत्त का मकान छोड़कर गांव के देवीदयाल के मकान में निवास करती रही देवीदयाल, लटूरी एवं विश्वनाथ द्वारा जमीन हड़पने की नियत से शिवदत्त का कत्ल कराया गया । शिवदत्त का कत्ल दिनांक 27–4–98 को होने के बाद अनावेदिका कभी ग्राम में नहीं आई अगर व पत्नी होती तो अपराधियों के विरूद्ध कत्ल की रिर्पोट थाने में कराती उसके द्वारा कोई रिर्पोट दर्ज नहीं कराई गई ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के साक्षियों तथा वसीयत के लेखक के कथन लिए जाकर वसीयत का गवाहों द्वारा सिद्ध पाए जाने के उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदिका गुड्डीबाई वर्ष 1998 के बाद पुत्तूसिंह पुत्र दीनदयाल ग्राम बरौली तहसील माधौगढ़ जिला जालौन उ.प्र. से शादी कर उसके साथ निवास कर रही है । उसके तीन पुत्रियां भी हैं । इस संबंध में उनके द्वारा निर्वाचन नामावली 2014 की ग्राम बरौली तहसील माधौगढ़ उ.प्र. की प्रति पेश की गई है जिसमें नामावली कमांक 266 पर गुड्डी पत्नी पुत्तूसिंह मकान नं. 60 आयु 42 वर्ष अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका को मृतक शिवदत्त की पत्नी, पुत्री मानने में गंभीर भूल की है । यह भी कहा गया कि यदि तर्क के लिए अनावेदिका को पत्नी मान भी लिया जावे तो भी उसे विवादित भूमि में हिस्सा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा दूसरी शादी करली है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में विधवा पुर्नविवाह करने पर पूर्व पति की संपत्ति में अपना हक प्राप्त करने की हकदार नहीं होगा । इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील कमांक 558/94 में पारित आदेश दिनांक 25.8.11 की प्रति पेश की गई है ।

आवेदकों की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी वर्ष 2005 से विचाराधीन है । तहसील न्यायालय का अभिलेख काफी पूर्व से प्राप्त हो चुका था इसके बाद भी वर्ष 2014 में अनावेदिका तथा उसके हस्तकों द्वारा सरपंच से फर्जी पंचनामा बनवाकर पटवारी तथा तहसीलदारसे मिलकरण आवेदकों को कोई सूचना न देकर फर्जी तरीके से दिनांक 15.5.14 को नामांतरण आदेश पारित करा लिया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उसके परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनावेदिका शिवदत्त की वेवा पत्नी होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । शिवदत्त द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गई । आवेदक द्वारा फर्जी तरीके से वसीयत तैयार कराई गई है । वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है । तहसीलदार ने दिनांक 15–5–14 के आदेश द्वारा जो नामांतरण शिवदत्त के स्थान पर अनावेदिका का किया गया है उसकी कोई अपील नहीं की गई है ।

उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार नामांतरण किए जाने के संबंध में है । विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदक के नामांतरण के आदेश दिए गए । इस आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा वसीयतनामे की स्वाभाविक परिस्थितियों का विश्लेषण कर प्रकरण का निराकरण करें । प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि प्रकरण में जो साक्ष्य उपलब्ध है उससे आवेदकों के पक्ष में जो वसीयत है वह पूरी तरह प्रमाणित है । आवेदक द्वारा विचारण न्याालय में दो अनुप्रमाणिक साक्षियों द्वारा वसीयत असंदिग्ध रूप से सिद्ध कराई गई है । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना उपरांत तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत 1996(2) विधि भास्कर 169 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर वसीयत को प्रमाणित मानते हुए वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय में आई साक्ष्य को पूरी तरह अनदेखा किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

6/ आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाया गया है कि अनावेदिका गुड्डीबाई वर्ष 1998 के बाद पुत्तूसिंह पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम बरौली तहसील माधौगढ़ जिला जालौन उ.प्र. से शादी कर उसके साथ निवास कर रही है और उसके तीन पुत्रियां भी हैं । इस संबंध में उनके द्वारा निर्वाचन नामावली 2014 की ग्राम बरौली तहसील माधौगढ़ उ.प्र. की प्रति पेश की गई है जिसमें नामावली क्रमांक 266 पर गुड्डी पत्नी पुत्तूसिंह मकान नं. 60 आयु 42 वर्ष अंकित है । उक्त तथ्य का कोई खंडन अनावेदिका की ओर से नहीं किया गया है । उक्त स्थिति को देखते हुए अनावेदिका को मृतक शिवदत्त की पत्नि

मानना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और ना ही न्यायसंगत । गुड्डीबाई द्वारा पुर्नविवाह करने संबंधी आवेदक का तर्क खंडन के अभाव में सही माना जायेगा । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति में विधवा के पुर्नविवाह करने पर वह पूर्व पति की संपत्ति में अपना हक प्राप्त करने की हकदार नहीं है । इस आशय का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 558/94 में पारित आदेश दिनांक 25.8.11 में दिया गया है । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह भी तथ्य आया है कि इस न्यायालय के समक्ष निगरानी के लंबित रहते पटवारी द्वारा अनावेदिका का नामांतरण कर दिया गया है, पटवारी का उक्त कृत्य पूरी तरह से अवैधानिक है क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होकर काफी समय पूर्व तहसील न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका था इसके उपरांत दिनांक 15–5–14 को तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर अनावेदिका का नामांतरण बिना आवेदकों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए किया गया है जो शून्यवत होकर प्रथमदृष्टि में निरस्त किए जाने योग्य है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिक त्रुटि की गई है इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.6.05 एवं तहसीलदार मेहगांव द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 15–5–14 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2000 एवं नायब तहसीलदार, मेहगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2000 स्थिर रखे जाते हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर